

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एफए एवं एस यूनिट

भाग-1 तिमाही रेस्ट पर ब्याज दरें

(i) रुपया सावधि ऋण: (28.02.2019 से प्रभावी)		3, 5 एवं 10 वर्ष रीसेट दर							
ऋणकर्ता	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क++') [और] चिह्नित सीपीएसयू [और] एएए रेटित कंपनियां (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सी पीएसयू (श्रेणी 'क+')	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क') [और] केंद्रीय क्षेत्र के ऋणकर्ता (चिह्नित सीपीएसयू एवं एएए रेटित से इतर) (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : आईआर -1 के साथ जररेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : (क) आईआर-2 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख) एंटीटी ग्रेड : ई I एवं ई II	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-3 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)एंटीटी ग्रेड: ई: III एवं ई IV (ग) डिस्कॉम ग्रेड-ए	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-4 साथ जनरेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क) आईआर-5 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)डिस्कॉम: ग्रेड-बी (ग) एंटीटी ग्रेड: ई V (घ) जिसे ग्रेड नहीं किया गया है	
क.	परियोजना ऋण /योजनाएं								
1.	उत्पादन परियोजनाएं	11.65	11.90	12.15	11.90	12.40	12.65	12.90	13.15
2	उत्पादन परियोजनाओं का आर एंड एम और आर एंड यू	11.40	11.65	11.90	12.15	12.40	12.65	12.90	13.15
3	गैर-पारंपरिक ऊर्जा और गैर- पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत उत्पादन परियोजनाओं की आरएम एवं आरयू (एमएनआई के अधिकार क्षेत्र में) (क) बायोमास परियोजना के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (ब) बायोमास एवं कचरे से ऊर्जा (डबल्यूटीई) परियोजनाएं	10.10	10.25	10.50	10.25	10.50	10.75	11.00	11.50
4.	पारेषण/ पारेषण का आर एंड एम/आर एंड यू, पीआईएफ, अन्य पारेषण योजनाएं	11.00	11.25	11.50	लागू नहीं	11.75	12.00	लागू नहीं	12.50
5.	वितरण, वितरण का आर एंड एम/आर एंड यू, मीटरिंग, शंट कैपेसिटर, एसएसईआर, अन्य परिसंपत्ति आधारित वितरण योजनाएं	लागू नहीं	10.75	11.00	लागू नहीं	11.75	12.00	लागू नहीं	12.50
6.	नियामक परिसंपत्तियों के निमित्त निधियन	11.65	11.90	12.15	लागू नहीं	12.65	12.90	लागू नहीं	13.40
7.	कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता		12.15						
8.	अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता		11.65					लागू नहीं	

9.	पारेषण योजना (अंतर-राज्य पारेषण योजना/ परियोजना (टीबीसीबी के माध्यम से अवॉर्ड की गई))	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी'क++') [और] चिह्नित सीपीएसयू [और] एए रेटित कंपनियां (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क+')	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क') [और] केंद्रीय क्षेत्र के ऋणकर्ता (चिह्नित सीपीएसयू एवं एए रेटित से इतर) (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : आईआर -1 के साथ जररेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : (क) आईआर-2 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख) एंटीटी ग्रेड : ई I एवं ई II	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-3 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)एंटीटी ग्रेड: ई: III एवं ई IV (ग) डिस्कॉम ग्रेड-ए	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-4 साथ जनरेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क) आईआर-5 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)डिस्कॉम: ग्रेड-बी (ग) एंटीटी ग्रेड: ई V (घ) जिसे ग्रेड नहीं किया गया है
		-	-	-	10.74	11.00	11.25	11.51	11.76
ख)	उपस्कर विनिर्माण								
1)	1 वर्ष से अधिक	11.90	12.15		12.40				राज्य क्षेत्र की श्रेणी 'ए' ऋणकर्ताओं (उत्पादन योजना) के लिए लागू दर पर 125 बीपीएस
ग)	संक्रमणकालीन वित्तपोषण - केवल राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए	लागू नहीं	11.90		12.15				लागू नहीं
भाग-II मासिक रेस्ट पर ब्याज दरें									
(i)	रुपया सावधि ऋण: (28.02.2019 से प्रभावी)								
	ऋणकर्ता ऋण/योजना/उत्पाद	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी'क++') [और] चिह्नित सीपीएसयू [और] एए रेटित कंपनियां (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क+')	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क') [और] केंद्रीय क्षेत्र के ऋणकर्ता (चिह्नित सीपीएसयू एवं एए रेटित से इतर) (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : आईआर -1 के साथ जररेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : (क) आईआर-2 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख) एंटीटी ग्रेड : ई I एवं ई II	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-3 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)एंटीटी ग्रेड: ई: III एवं ई IV (ग) डिस्कॉम ग्रेड-ए	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-4 साथ जनरेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क) आईआर-5 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)डिस्कॉम: ग्रेड-बी (ग) एंटीटी ग्रेड: ई V (घ) जिसे ग्रेड नहीं किया गया है
ख.	परियोजना ऋण /योजनाएं								
1.	उत्पादन परियोजनाएं	11.55	11.80	12.05	11.80	12.25	12.50	12.75	13.00
2.	उत्पादन परियोजनाओं का आर एंड एम और आर एंड यू	11.30	11.55	11.80	12.05	12.25	12.50	12.75	13.00
3.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा और गैर-पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत उत्पादन परियोजनाओं की आरएम एवं आरयू	10.00	10.15	10.40	10.15	10.40	10.65	10.90	11.40

	(एमएनआरई के अधिकार क्षेत्र में) (क) बायोमास परियोजना के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं								
	(ख) बायोमास एवं कचरे से ऊर्जा (डबल्यूटीई) परियोजनाएं	10.90	11.15	11.40	11.40	11.65	11.90	12.15	12.35
4.	पारेषण/ पारेषण का आर एंड एम/आर एंड यू, पीआईएफ, अन्य पारेषण योजनाएं	10.90	11.15	11.40	लागू नहीं	11.65	11.90	लागू नहीं	12.35
5.	वितरण, वितरण का आर एंड एम/आर एंड यू, मीटरिंग, शंट कैपेसिटर, एसएसईआर, अन्य परिसंपत्ति आधारित वितरण योजनाएं	लागू नहीं	10.65	10.90	लागू नहीं	11.65	11.90	लागू नहीं	12.35
6.	नियामक परिसंपत्तियों के निमित्त निधियन	11.55	11.80	12.05	लागू नहीं	12.50	12.75	लागू नहीं	13.25
7.	कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता	12.05	लागू नहीं						
8.	अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता	11.55							
9.	पारेषण योजना (अंतर-राज्य पारेषण योजना/ परियोजना (टीबीसीबी के माध्यम से अवॉर्ड की गई))	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क++') [और] चिह्नित सीपीएसयू [और] एएए रेटित कंपनियां (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क+')	राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता/सीपीएसयू (श्रेणी 'क') [और] केंद्रीय क्षेत्र के ऋणकर्ता (चिह्नित सीपीएसयू एवं एएए रेटित से इतर) (टी एवं सी 18 का संदर्भ लें)	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : आईआर -1 के साथ जनरेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता : (क) आईआर-2 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख) एंटीटी ग्रेड : ई I एवं ई II	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-3 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)एंटीटी ग्रेड: ई: III एवं ई IV (ग) डिस्कॉम ग्रेड-ए	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क)आईआर-4 साथ जनरेशन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता: (क) आईआर-5 के साथ जनरेशन परियोजनाएं (ख)डिस्कॉम: ग्रेड-बी (ग) एंटीटी ग्रेड: ई V (घ) जिसे ग्रेड नहीं किया गया है
		-	-	-	10.65	10.90	11.15	11.40	11.65
ख)	उपस्कर विनिर्माण								
1)	1 वर्ष तक	एसटीएल दर जो राज्य क्षेत्र के श्रेणी-'ए++' ऋणकर्ताओं के लिए लागू है	एसटीएल दर जो राज्य क्षेत्र के श्रेणी-'ए+' ऋणकर्ताओं के लिए लागू है	एसटीएल दर जो राज्य क्षेत्र के श्रेणी-'ए' ऋणकर्ताओं के लिए लागू है	राज्य क्षेत्र की श्रेणी 'ए' ऋणकर्ताओं (उत्पादन योजना) के लिए लागू दर पर 125 बीपीएस				

2)	1 वर्ष से अधिक	11.80	12.05	12.25	
ग)	क्रेताओं की लाइन ऑफ क्रेडिट : केवल राज्य क्षेत्र ऋणकर्ता के लिए				
1)	1 वर्ष तक	एसटीएल दर जो राज्य क्षेत्र के श्रेणी-'ए++' ऋणकर्ताओं के लिए लागू है	एसटीएल दर जो राज्य क्षेत्र के श्रेणी-'ए+' ऋणकर्ताओं के लिए लागू है	एसटीएल दर जो राज्य क्षेत्र के श्रेणी-'ए' ऋणकर्ताओं के लिए लागू है	लागू नहीं
2)	1 वर्ष से अधिक	आरटीएल पर यथालागू	आरटीएल पर यथालागू	आरटीएल पर यथालागू	
घ)	डिस्कॉम को संक्रमणकालीन वित्तपोषण:- केवल राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए (नीचे दिए गए 'च' के अलावा)	लागू नहीं	11.8	12.05	लागू नहीं
इ)	संक्रमणकालीन वित्तपोषण - केवल राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए				
1)	राज्य के विभाजन/ पुनर्गठन के कारण निगमित जेनको/ ट्रांस्को/ डिस्कॉम के मामले में	मासिक रीसेट पर 12.15% प्रति वर्ष (डिस्कॉम के लिए लागू नहीं)	मासिक रीसेट पर 12.40% प्रति वर्ष	मासिक रीसेट पर 12.65% प्रति वर्ष	लागू नहीं
	6 माह से अधिक एकबारगी पुनर्भुगतान सहगीत एसटीएल दर- बिना 90 दिन रीसेट विकल्प के				
	संबन्धित योजना के लिए आरटीएल दर (अर्थात उत्पादन, पारेषण इत्यादि)				
(II)	अल्पावधि ऋण (एसटीएल) : (01.06.2017 से लागू)				
			ब्याज दर (मासिक रूप से देय, समय पर किए गए भुगतान का निवल, प्रति वर्ष %)		
	श्रेणी	क्षेत्र	6 माह तक बुलेट पुनर्भुगतान और एसटीएल का पुनर्भुगतान 6 माह तक के स्थगन काल ईएमआई विकल्प	6 माह से अधिक बुलेट पुनर्भुगतान और 1 वर्ष तक एसटीएल का पुनर्भुगतान, 6 माह से अधिक के स्थगन काल का ईएमआई विकल्प	क्रेडिट विकल्प की फ्लेक्सी लाइन

			रीसेट के बिना	रीसेट के बिना	
1)	श्रेणी-'ए++'	राज्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र,	11.00	11.25	11.00
2)	श्रेणी-'ए+	राज्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र,	11.25	11.50	11.25
3)	ए1	निजी क्षेत्र	11.50	11.75	लागू नहीं
4)	श्रेणी 'ए'	राज्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र,	11.50	11.75	11.50
5)	श्रेणी "बी"	राज्य क्षेत्र	11.75	12.00	लागू नहीं
6)	श्रेणी 'सी'	राज्य क्षेत्र	12.00	12.25	लागू नहीं
7)	ए2/ए3	निजी क्षेत्र	13.00	13.25	लागू नहीं
नोट- I और II में दी गई ब्याज दर नीचे दिए गए शर्तों और निबंधनों के अधीन है:					
निबंधन और शर्तें					
1	गैर-पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (बायोमास से अन्य) की स्थिति में, दिनांक 17.04.2018 से की जाने वाली सभी नई संस्वीकृतियों के लिए केवल 3 वर्ष रीसेट विकल्प है। इसके अतिरिक्त, उन बकाया ऋणों के लिए जहां ऋणकर्ता ने 5 एवं 10 वर्ष रीसेट विकल्प का उपयोग किया है, वहां रीसेट के समय 3 वर्ष रीसेट विकल्प हेतु ब्याज-दर लागू होगी।				
2	आर-एपीआरआरपी/ आईपीडीएस के अंतर्गत भाग-बी को काउंटर पार्ट फंडिंग (वितरण सुदृढीकरण योजना) के लिए लागू ब्याज दर ऋणकर्ताओं की सभी श्रेणियों/ ग्रेड के लिए अधिसूचित ब्याज दर से 50 बीपीएस कम होगी।				
3	राज्य क्षेत्र के श्रेणी बी के लिए ब्याज दरें ऋणकर्ताओं को राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं की श्रेणी ए पर लागू ब्याज दरों की तुलना में 25 बीपीएस से अधिक होगी, जबकि राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं की श्रेणी सी के लिए ब्याज दरें राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं की श्रेणी ए पर लागू ब्याज दरों से 50 बीपीएस तक अधिक होंगी।				
4	निजी क्षेत्र के श्रेणी 'क' के अंतर्गत आने वाले डिस्कॉम के लिए ब्याज दरें राज्य क्षेत्र के श्रेणी 'ए' के लिए यथालागू दरों के समान होंगी, बशर्ते की ऐसी एंटीटियाँ एस्क्रो कवरेज करती हों।				
5	चिन्हित प्राप्तियों के निमित्त जेनको/ट्रांसको को लागू अल्पावधि ऋणों (एसटीएल) के लिए ब्याज दरें ऋणकर्ता की संबंधित श्रेणी की "6 माह तक बुलेट पुनर्भुगतान (बिना रीसेट विकल्प के)" को यथा लागू ब्याज दरों के समान होंगी।				
6	राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए "कोयले के आयात हेतु विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को नॉन-रिवोल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट नीति" के अंतर्गत ब्याज दर 6 महीने तक बुलेट पुनर्भुगतान के लिए एसटीएल ऋण दरों से 25 बीपीएस कम होंगी/ 1 वर्ष तक एसटीएल - बिना रीसेट के 6 माह तक स्थगनकाल के साथ ईएमआई का विकल्प होगा। निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए ब्याज दर 6 महीने तक बुलेट पुनर्भुगतान के लिए एसटीएल ऋण दरें होंगी/1 वर्ष तक एसटीएल - बिना रीसेट के 6 माह तक स्थगनकाल के ईएमआई का विकल्प होगा।				
7	निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए 25 बीपीएस की छूट लागू होगी: (I) अल्पावधि ऋण, (II) डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्तियाँ (III) जेनको/ट्रांसको/डिस्कॉम का पारंपरिक वित्त पोषण (iv) कोयले के आयात के लिए विद्युत क्षेत्र संस्थों के लिए नॉन-रिवोल्विंग रूपरेखा लाइन ऑफ क्रेडिट जहां ऐसी वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी देते हुए सुरक्षा प्रदान की जाती है।				
8	शुरू की गई निजी क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (बायोमास को छोड़कर) जिनकी एकीकृत रेटिंग आईआर-1, आईआर-2 एवं आईआर-3 हैं, उनके लिए 25 बीपीएस की छूट लागू होगी, जो एफए एवं एस यूनिट के दिनांक 21.11.2017 के परिपत्र द्वारा यथा अधिसूचित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी।				
9	राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के मामले में एडीबी ऋण-II के अंतर्गत पारेषण, वितरण तथा आर एवं एम योजनाओं के लिए ब्याज दरें लागू दरों की तुलना में 0.25 प्रतिशत कम बनी रहेंगी।				
10	उन पारेषण/वितरण परियोजनाओं के लिए, जहां विशेष ब्याज दरें ऑफर की जा चुकी हैं और वे ब्याज दरें अधिसूचित ब्याज दरों/कार्ड दरों से संबद्ध हैं किंतु कोई फ्लोर ब्याज दरें लागू नहीं की गई हैं, उन मामलों में निम्नलिखित लागू होगा: (i) जहां विशेष ब्याज दरें अधिसूचित ब्याज दरों/कार्ड दरों से कम हैं, वहां रीसेट पर उन ऋणकर्ताओं को आगे कोई कमी नहीं की जाएगी। (ii) जहां विशेष ब्याज दरें प्रस्तावित कार्ड दरों से अधिक हैं, तब अधिसूचित ब्याज दर रीसेट पर लागू होगी। (यह पारेषण एवं वितरण स्कीमों के लिए ब्याज दरों में कमी की अधिसूचना संबंधी पूर्ववर्ती एलपी यूनिट के दिनांक 19.05.2017 के नीति परिपत्र के संदर्भ में है)।				
11	"90 दिन के रीसेट" के साथ और "90 दिन के रीसेट के बिना" विकल्पों के साथ संस्वीकृत ऋणों के लिए वही दरें लागू होंगी जो एसटीएल के लिए लागू होती हैं।				
12	वितरण/ रीसेट/ रोलओवर की तारीख तक मौजूदा ब्याज दरें लागू होंगी।				

13	उपर्युक्त ब्याज दरें सरकारी/राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में समय पर भुगतान छूट (वर्तमान में 0.25 %) का निवल है (बिलों में प्रत्यक्ष छूट के अंतर्गत ऋणकर्ताओं को छोड़कर) जहां कहीं भी लागू है।
14	सरकारी/राज्य क्षेत्र ऋणकर्ताओं की स्थिति में, लागू पॉलिसी के अनुसार ड्यूस के समयबद्ध भुगतान पर ब्याज दर में समयबद्ध भुगतान रिबेट के लिए ऋण पात्र होंगे। ड्यूस के समयबद्ध भुगतान से अभिप्राय होता है कि मानक नियत तारीख पर ऋणकर्ता के सम्मुख सभी बकाया ऋणों पर सभी देत राशियों का भुगतान करना।
15	समय पर भुगतान छूट निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए लागू नहीं होगी और तदनुसार, ऐसी दरों की गणना सकल रूप से नहीं की जाएगी तथा उन्हें ब्याज दर छूट की निवल राशि के रूप में ऑफर किया जाएगा।
16	एसटीएल, कोयले के आयात के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट, बीएलसी/बिल में छूट/1 वर्ष तक उपस्कर विनिर्माण और राज्य के पुनर्गठन/विभाजन के कारण नवगठित ट्रांसको/जैकोस/डिस्कॉम के मामलों में संक्रमणकालीन वित्तपोषण के अलावा सभी ब्याज दरें तिमाही रेस्ट आधार पर देय होंगी। एसटीएल, कोयले के आयात के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट, बीएलसी/बिल में छूट/1 वर्ष उपस्कर विनिर्माण और राज्य के पुनर्गठन/विभाजन के कारण नवगठित ट्रांसको/जैकोस/डिस्कॉम के मामलों में सभी ब्याज दरें मासिक रेस्ट आधार पर देय होंगी। एसटीएल के अंतर्गत समीकृत मासिक किस्तों के मामले में ईएमआई की गणना करने के लिए ब्याज दरें लागू होंगी।
17	एए रेटिंग अनुमोदित क्रेडिट एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग है और श्रेणी 'ए+++', 'ए+', 'ए', 'बी', 'सी', आईआर-1 से आईआर-5 और ई-1 से ई-V पीएफसी की आंतरिक श्रेणीकरण पद्धति पर आधारित है।
18	वर्तमान में, चिह्नित सीपीएसयू में एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, एनएलसी, एनपीसीआईएल, डीवीसी, एसजेवीएनएल, निपको, टीएचडीसी शामिल हैं। आरटीएल के अंतर्गत वर्तमान सीपीएसयू के लिए नए संवितरण/रीसेट पर दिनांक 31.05.2017 तक संस्वीकृत ऋण के लिए संशोधित ब्याज दरें लागू होंगी।
19	सरकारी क्षेत्र की कंपनियां (चिह्नित सीपीएसयू और एए रेटित कंपनियों से इतर) जो वर्तमान में रेटित नहीं की जा रही हैं, उनके लिए वही ब्याज दरें लागू की जाएगी जो राज्य क्षेत्र के श्रेणी 'क' के अंतर्गत आने वाले ऋणकर्ताओं के लिए लागू हैं।
20	कम्प्यूटरीकरण और अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता हेतु ब्याज दरें निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए लागू नहीं होंगी।
21	ई I से ई V के लिए दी गई ब्याज दरें उन सभी स्कीमों/पॉलिसियों के लिए लागू होंगी जहां ब्याज दरें एंटीटी रेटिंग से संबद्ध हैं।
22	बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत जेनको + डिस्कॉम (यानि जेडको) द्वारा शुरू की गई पारियोजना हेतु दिए गए ऋण के लिए ब्याज दर योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले उपस्कर की प्रकृति पर निर्भर करेगी।
23	उत्पादन परियोजना पर लागू ब्याज दर निगमित ऋण एवं लीज वित्तपोषण पर लागू होंगी।
24	इसी प्रभावी वार्षिक अवधि ब्याज दर के लिए अनुलग्नक- क से सबन्धित इस ऋण नीति परिपत्र में कृपया इसे संदर्भित करें।

प्रभावी वार्षिक ब्याज दरें

तिमाही रेस्ट पर ब्याज दर	प्रभावी वार्षिक ब्याज दरें	मासिक रेस्ट पर ब्याज दरें	प्रभावी वार्षिक ब्याज दरें
10.10%	10.49%	10.00%	10.47%
10.15%	10.54%	10.05%	10.53%
10.20%	10.60%	10.10%	10.58%
10.25%	10.65%	10.15%	10.64%
10.30%	10.70%	10.20%	10.69%
10.35%	10.76%	10.25%	10.75%
10.40%	10.81%	10.30%	10.80%
10.45%	10.87%	10.35%	10.86%
10.50%	10.92%	10.40%	10.91%
10.55%	10.97%	10.45%	10.97%
10.60%	11.03%	10.50%	11.02%
10.65%	11.08%	10.55%	11.08%
10.70%	11.14%	10.60%	11.13%
10.74%	11.18%	10.65%	11.19%
10.75%	11.19%	10.70%	11.24%
10.80%	11.25%	10.75%	11.30%
10.85%	11.30%	10.80%	11.35%
10.90%	11.35%	10.85%	11.41%
10.95%	11.41%	10.90%	11.46%
11.00%	11.46%	10.95%	11.52%
11.05%	11.52%	11.00%	11.57%
11.10%	11.57%	11.05%	11.63%
11.15%	11.62%	11.10%	11.68%
11.20%	11.68%	11.15%	11.74%
11.25%	11.73%	11.20%	11.79%
11.30%	11.79%	11.25%	11.85%
11.35%	11.84%	11.30%	11.90%
11.40%	11.90%	11.35%	11.96%
11.45%	11.95%	11.40%	12.01%
11.50%	12.01%	11.45%	12.07%
11.51%	12.02%	11.50%	12.13%
11.55%	12.06%	11.55%	12.18%
11.60%	12.11%	11.60%	12.24%
11.65%	12.17%	11.65%	12.29%
11.70%	12.22%	11.70%	12.35%
11.75%	12.28%	11.75%	12.40%

11.76%	12.29%	11.80%	12.46%
11.80%	12.33%	11.85%	12.52%
11.85%	12.39%	11.90%	12.57%
11.90%	12.44%	11.95%	12.63%
11.95%	12.50%	12.00%	12.68%
12.00%	12.55%	12.05%	12.74%
12.05%	12.61%	12.10%	12.79%
12.10%	12.66%	12.15%	12.85%
12.15%	12.71%	12.20%	12.91%
12.20%	12.77%	12.25%	12.96%
12.25%	12.82%	12.30%	13.02%
12.30%	12.88%	12.35%	13.07%
12.35%	12.93%	12.40%	13.13%
12.40%	12.99%	12.45%	13.19%